कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I), पश्चिम बंगाल
ट्रेजरी बिल्डिंग्स, 2, गवर्मेंट प्लेस (पश्चिम), कोलकाता – 700001

सं. हिंदी कक्ष/रा.भा.का.स./खण्ड-II /37 दिनांक: 06.05.2025

## कार्यालय आदेश

मुख्यालय के पत्र संख्या 239/रा.भा.अ./24-2022-I दिनांक 17.04.2025 के अनुसरण में, सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को निदेश दिया गया है कि हिंदी तिमाही प्रगति प्रतिवेदन तथा राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का कार्यवृत्त एवं बैठक से संबंधित अनुपालना प्रतिवेदन समाप्त तिमाही के अगले महीने की 20 तारीख से पहले मुख्यालय भेजी जाए।

अतः इस संबंध में इस कार्यालय के सभी अनुभागों से अनुरोध है कि वे अपने अनुभाग से संबंधित तिमाही प्रगति रिपोर्ट समाप्त तिमाही के अगले महीने की पाँच (05) तारीख के भीतर इस कार्यालय के राजभाषा अनुभाग को अनिवार्य रूप से भेजें ताकि हिंदी तिमाही प्रगति रिपोर्ट तथा राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का कार्यवृत्त एवं बैठक से संबंधित अनुपालना रिपोर्ट समय पर मुख्यालय भेजी जा सके।

**इसे प्रधान महालेखाकार महोदय के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।**

*हस्ता/-*
उप महालेखाकार (प्रशासन)

<u>प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु केवल ई-मेल के माध्यम से प्रेषित –</u>

1. सचिव, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I), प. बंगाल, कोलकाता – 700001.
2. उप महालेखाकार (ए.एम.जी.-I व प्रशासन)/उप महालेखाकार (ए.एम.जी.-II)/उप महालेखाकार (ए.एम.जी.-III)/ उप महालेखाकार (ए.एम.जी.-IV) के सचिवालय।
3. सभी शाखा अधिकारी
4. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/एल.ए.डी.
5. इस कार्यालय के सभी अनुभाग
6. सूचनापट्ट।

06/05/25
सहायक निदेशक (राजभाषा)

Scanned with OKEN Scanner

पत्र संख्या 239 / रा.भा.अ./24-2022-I

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय
10, बहादुरशाह ज़फ़र मार्ग,
नई दिल्ली-110 124

सत्यमेव जयते

OFFICE OF THE COMPTROLLER &
AUDITOR GENERAL OF INDIA
10, BAHADUR SHAH ZAFAR MARG,
NEW DELHI - 110 124

दिनांक / DATE 17.4.2025

सेवा में,

भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग के
सभी विभागाध्यक्ष /कार्यालयाध्यक्ष
(डाक सूची के अनुसार)

**विषय: राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें नियमित रूप से आयोजित करने के संबंध में।**

महोदय/महोदया,

भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा प्रतिवर्ष जारी किए जाने वाले वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए राजभाषा कार्यान्वयन समित की एक वर्ष में 04 बैठकों का नियमित रूप से आयोजन अनिवार्य है। अपने कार्यालय में राजभाषा के प्रगामी प्रयोग की निगरानी तथा राजभाषा संबंधी अधिनियम, नियम, आदेशों, अनुदेशों आदि में वर्णित प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित करने हेतु इन बैठकों में लिए गए निर्णयों की समीक्षा कार्यालय प्रधान द्वारा की जानी है।

परन्तु अधिकांश क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों का आयोजन समयानुसार नहीं किया जा रहा है तथा इसके कार्यवृत्त भी मुख्यालय में समय पर प्राप्त नहीं हो रहे है। यदि यह बैठकें समय पर आयोजित नहीं होगी तो तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा एवं पाई गई कमियों की उपचारी कार्यवाही में सुधार संभव नहीं है। इस संबंध में मुख्याल द्वारा दिनांक 14.8.2013 को पत्रांक संख्या 728 रा.भा.अ./47-2013 द्वारा भी अनुरोध जारी किया जा चूका है परन्तु प्रत्याशित परिणाम प्राप्त नहीं हुए है।

इस संबंध में सभी क्षेत्रीय कार्यालयों से पुन: अनुरोध है कि वे उक्त बैठकों का आयोजन निर्धारित समयानुसार करें तथा बैठक के कार्यवृत्त की प्रतियां अग्रेषित करने की अपेक्षा कर समाप्त तिमाही से प्रारम्भ करके प्रत्येक तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा में पाई गई कमियों एवं विगत तिमाहियों के दौरान उनकों दूर करने की दिशा में हुई प्रगति की तुलनात्मक समीक्षा करें तथा अनुपालन प्रतिवेदन के लिए तैयार किए गए प्रॉफोर्मा (प्रति संलग्न) में वांछित सूचना समाप्त तिमाही के अगले महीने की 20 तारीख से पहले मुख्यालय में भेजना सुनिश्चित करें।

यह पत्र महानिदेशक (राजभाषा) महोदय के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

अनिल कुमार

वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी (राजभाषा)

संलग्नक:यथोपरि।

Scanned with OKEN Scanner